

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-232/2018/ 62/21-22 प्र०स्वी० राँची, दिनांक: 28.03.2022

प्रेषक:

प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची के अधीन अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग के आवासीय भवन एवं चाहरदिवारी निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू0 62.10 लाख (रुपये बासठ लाख दस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची के अधीन अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग के आवासीय भवन एवं चाहरदिवारी निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू0 62.10 लाख (रुपये बासठ लाख दस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
3. प्रस्ताव में आवासीय भवन का निर्माण, गैराज, शौचालय एवं एक अदद डीप बोरवेल, बॉउन्ड्रीवाल का निर्माण, Rainwater Harvesting System का निर्माण आदि का प्रावधान है।
4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित बजट उपबंध निम्नवत है:-
“मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई/पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उप शीर्ष-25-भवन / गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45 निर्माण” कार्य(50-S-4702-00-101-25-00-05-45) अंतर्गत रू0 32.10 लाख का प्रावधान है।
5. प्रस्ताव पर होने वाला व्यय की राशि रू0 62.10 लाख (रुपये बासठ लाख दस हजार) मात्र “मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उप शीर्ष-25-भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार-विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण-45 निर्माण कार्य(50-S-4702-00-101-25-00-05-45) के अधीन प्राप्त बजट उपबंध में भारित होगा।
6. इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग एवं नियंत्रण पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची होंगे।
7. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है।
8. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस कार्य के राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार से की जाएगी।

10. फरास जल पाल काय का अवयववार विवरण निम्नवत् है:-

Sl.	Particulars	Amount (Rs)
1	Cost of Building.	3449036.70
2	Cost of Boundary Wall	849480.00
3	Cost of Rain Water Harvesting	250000.00
4	Cost of Sanitary & Plumbing Work-7.5%	289671.00
5	Cost Of Electrical- 10%	386228.00
6	Cost of Deep Bore Well With Submersible Pump Set	211443.00
	Add : Goods & Services tax (G.S.T.)- 12%	5435858.70
		652303.00
	Add : Labour Cess- 1%	6088161.70
	Add : Contingency - 1%	60882.00
	G. Total:-	60882.00
	Say:-	6209925.70
		6210000.00

11. इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध प्राप्त है।
12. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।
14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशान्त कुमार)

सरकार के सचिव,

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-232/2018/ 62/21-22 प्र.स्वी. राँची, दिनांक: 28.03.2022

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ / वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार / योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव, (अभि०)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-232/2018/ 62/21-22 प्र.स्वी. राँची, दिनांक: 28.03.2022

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

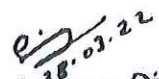
अनु०:-यथोक्त।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव, (अभि०)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-232/2018/.....राँची, दिनांक:.....
प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्र० हजारीबाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-यथोक्त।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव, (अभि०)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-232/2018/.....राँची, दिनांक:.....
प्रतिलिपि: आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव, (अभि०)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-232/2018/.....राँची, दिनांक:.....
प्रतिलिपि: माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु०:-यथोक्त।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव, (अभि०)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य/232/2018/.....राँची, दिनांक:.....
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत कराने हेतु प्रेषित।
अनु०:-यथोक्त।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव, (अभि०)

